राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(15)संसद / 74 जयपुर, दिनांकः 06 FEB 2024

:: स्थायी–आदेश ::

विषयः– संसदीय कार्य विभाग के मामले निपटाने हेतु स्थायी–आदेश।

संसदीय कार्य विभाग के पूर्व समसंख्यक स्थायी–आदेश दिनांकः 05.03.2019 को अतिलंघन करते हुए, मैं, एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि राजस्थान कार्य विधि नियमावली के नियम 21 एवं 22 के अनुसरण में संसदीय कार्य विभाग से संबंधित मामले नीचे दी गयी अनुसूची में दर्शायी गयी प्रक्रिया के अनुसार तुरन्त प्रभाव से निपटाये जायेंगे।

6/2/2024

(जोगाराम पटेल)
मंत्री,
संसदीय कार्य विभाग।

:: अनुसूची ::

क्र. सं.	मामलो का प्रतिरूप	जिसके द्वारा परीक्षण किया जायेगा		जिसके द्वारा निपटारा किया जावेगा	मंत्री / मुख्यमंत्री / राज्यपाल को समर्पित किये जायेगें।		
		सहायक सचिव	वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव	मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विधान सभा को भंग करना	स०स०	वरि०शा०उ०स०	प्र०शा०स०	मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
2.	विधान सभा का सत्र आहूत करना एवं सत्रावसान करना।	स०स०	वरि०शा०उ०स०	प्र०शा०स०	मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
3.	मंत्रियों द्वारा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिन निर्धारित करना।	स०स०	वरि०शा०उ०स०	प्र०शा०स०	मंत्री	मुख्यमंत्री	--
4.	अस्थायी तिथि–पत्री	स०स०	वरि०शा०उ०स०	प्र०शा०स०	मंत्री	मुख्यमंत्री	--
5.	अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, शक्तियां,विशेषाधिकार तथा अन्य प्रभुक्तियां	स०स०	वरि०शा०उ०स०	प्र०शा०स०	मंत्री	मुख्यमंत्री	--
6.	विधान सभा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार तथा अन्य प्रभुक्तियां	स०स०	वरि०शा०उ०स०	प्र०शा०स०	मंत्री	मुख्यमंत्री	--
7.	विधान सभा के अधिकारियों / सदस्यों को उनके निम्न कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृतियां : **(क) चिकित्सा हेतु :**						
	(अ) राज्य स्तरीय	स०स०	वरि०शा०उ०स०	प्र०शा०स०	--	--	--
	(ब) राष्ट्र स्तरीय	स०स०	वरि०शा०उ०स०	प्र०शा०स०	मंत्री	मुख्यमंत्री	--
	(स) विदेश स्तरीय	स०स०	वरि०शा०उ०स०	प्र०शा०स०	मंत्री	मुख्यमंत्री	--
	(ख) विधायकों के राजकीय आवास के परिवर्तन / परिवर्धन हेतु :–						
	(अ) साधारण	स० स०	वरि०शा०उ०स०	प्र०शा०स०	मंत्री	--	--
	(ब) विशेष	स०स०	वरि०शा०उ०स०	प्र०शा०स०	मंत्री	मुख्यमंत्री	--

क्र. सं.	मामलो का प्रतिरूप	जिसके द्वारा परीक्षण किया जायेगा		जिसके द्वारा निपटारा किया जावेगा	मंत्री/मुख्यमंत्री/ राज्यपाल को समर्पित किये जायेगें।		
		सहायक सचिव	वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव	मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	विधान सभा सचिवालय से संबंधित आय– व्ययक अनुमान समाधान तथा लेखा विनियोग	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--
9.	कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग को संस्थापन संबंधी सौंपे गये मामलों को छोडकर विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से संबंधित संस्थापन के समस्त मामले :–	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	--	--	--
	(क) पदों की अवधि बढाना						
	(ख) नये पद सृजित करना						--
	(i) राजपत्रित	”	”	”	मंत्री	मुख्यमंत्री	
	(ii) अराजपत्रित	”	”	”	मंत्री	--	--
10.	विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित सेवा नियम मामले	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
11.	विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित वेतनमान नियमों से संबंधित मामले	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--
12.	विधान सभा अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन अधिनियम एवं उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में संशोधन	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	मुख्यमंत्री	--
13.	संसदीय प्रश्न	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--
14.	सदस्य विधान सभा के विभिन्न प्रकार के बकाया की वसूली ।	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	मुख्यमंत्री	--
15.	विधान सभा सचिवालय के अन्य मामले	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	--	--	--
16.	सदस्य विधान सभा के विरूद्व शिकायत	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--
17.	विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व शिकायत संबंधी मामलें।	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--
18.	विधान सभा भवन के निर्माण एवं अन्य प्रकिया संबंधी मामले	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	मुख्यमंत्री	--
19.	विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 50, 131 एवं 295 के स्थगन, ध्यानाकर्षण एवं विशेष उल्लेख प्रस्ताव	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--
20.	मंत्रियों द्वारा विधान सभा में दिये गये आश्वासनों की कियान्विति बावत ।	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--
21.	संसदीय कियाविधि और अन्य मामलों के संबंध में विभाग की सलाह	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--

क्र. सं.	मामलो का प्रतिरूप	जिसके द्वारा परीक्षण किया जायेगा		जिसके द्वारा निपटारा किया जावेगा	मंत्री/मुख्यमंत्री/ राज्यपाल को समर्पित किये जायेगें।		
		सहायक सचिव	वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव	मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों का समन्वय ।	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--
23.	संसदीय कार्य विभाग के कर्मचारियों से संबंधित प्रकरण के संबंध में ।	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	--	--	--
24.	संसदीय कार्य विभाग से संबंधित अन्य मामलें ।	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--
25.	युवा संसद प्रतियोगिता	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	--	--	--
26.	संसदीय कार्य विभाग से संबंधित विधान सभा प्रश्न/ प्रस्ताव	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--
27.	मुख्य सचेतकों के सम्मेलनों में की गई सिफारिशों की कियान्विति संबंधी कार्य	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--
28.	विधान सभा की संबंधित समितियों की रिपोर्ट संबंधी चेजिंग ।	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	--	--	--
29.	विधान सभा व संसद सदस्यों/अधिकारियों के चुनाव व मनोनयन आदि संबंधी मामलें ।	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--
30.	विधान सभा सचिवालय से संबंधित कोर्ट केसेज के मामले ।	स0स0	वरि0शा0उ0स0	प्र0शा0स0	मंत्री	--	--

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग–1) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.6(1) प्र.सु./सम./अनु.1/2001 दिनांकः 18.12.2001 को दृष्टिगत रखते हुए कार्य निस्तारण की अवधि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

1. 15 दिवस उन प्रकरणों के लिए जिनका निपटारा माननीय मंत्रियों के अनुमोदन से किया जाना है।
2. 8 दिवस उन प्रकरणों के लिए जिनका निपटारा वरि0 शासन उप सचिव/प्रमुख शासन सचिव द्वारा किया जाना है।
3. 5 दिवस उन प्रकरणों के लिए जिनका निपटारा ग्रुप अधिकारी (सहायक शासन सचिव / अनुभागाधिकारी) द्वारा किया जाना है।
4. स्मरण पत्रों को निम्न प्रकार समय सीमा में निपटाए जावेंगे :–
   (क) तात्कालिक मामले – 07 दिवस
   (ख) अति–आवश्यक मामले – 15 दिवस
   (ग) साधारण मामले – 01 माह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग–1) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली ।

6/2/24

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव।